(151)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1211-एक/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-4-11 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 247/09-10/निगरानी.

गजेन्द्र सिंह आत्मज देवनारायण
निवासी ग्राम गौरवा
तहसील टोंकखुर्द जिला देवास .....आवेदक

विरूद्ध

1. करण सिंह पिता बापू
   निवासी ग्राम देवमुण्डला
   तहसील टोंकखुर्द जिला देवास
2. म.प्र. राज्य द्वारा पटवारी ह.नं. 15
   ग्राम देवमुण्डला तहसील टोंकखुर्द जिला देवास .....अनावेदकगण

श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया, अभिभाषक आवेदक
श्री प्रखर ढेंगुला, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 18-4-11 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के पिता देवनारायण द्वारा नायब तहसीलदार, टोंकखुर्द जिला देवास के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गौरवा स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 73 रकबा 0.27 एवं सर्वे क्रमांक 362 रकबा 0.14 कुल रकबा 0.41 हेक्टेयर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है तथा ग्राम देवमण्डला स्थित सर्वे क्रमांक 348/2 रकबा 0.040 हेक्टेयर भूमि अनावेदक क्रमांक 1 करण सिंह के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, जिसका वे अपनी सहूलियत के अनुसार करीब 12 वर्षों से आपसी विनिमय कर लिया है, अत: विनिमय के अनुसार उनका नामान्तरण स्वीकार किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा

प्रकरण क्रमांक 165/बी-121/2007-08 दर्ज कर दिनांक 10-10-08 को आदेश पारित कर विनियम किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा कलेक्टर, देवास के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा दिनांक 27-8-2010 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18-4-11 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि विनिमय समान हक के भूमिस्वामियों द्वारा आपसी सहमति से किया गया है, जिसके आधार पर तहसील न्यायालय ने विधि सम्मत आदेश पारित किया है, किन्तु कलेक्टर द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार को विनिमय आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, जबकि संहिता में इसकी पुष्टि हेतु कोई प्रावधान नहीं है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा बिना जांच एवं बिना साक्ष्य लिये प्रशासनिक आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा विनिमय के विपरीत आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा बिना किसी आधार के तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है, जिसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिक भूल की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 2 शासन के विद्वान अभिभषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अधिकार बाह्य आदेश पारित किया गया था, जिसे कलेक्टर द्वारा विधिवत निष्कर्ष निकालते हुए निरस्त किया गया है और कलेक्टर के विधिसंगत आदेश को अपर आयुक्त द्वारा भी यथावत रखा गया है । इस आधार पर कहा गया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार द्वारा संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जबकि नायब तहसीलदार को संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए विस्तृत विवेचना उपरान्त बोलता बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिए था । इस सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए नायब तहसीलदार का

क्षेत्राधिकार रहित आदेश निरस्त किया गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विनिमय किस अधिनियम/नियम के अन्तर्गत किया है, इसका कोई उल्लेख आदेश में नहीं है । अपर आयुक्त द्वारा भी स्पष्ट निष्कर्ष गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 165 व 167 का पालन नहीं किया गया है । तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि विनिमय का आवेदन मात्र आवेदक पक्ष ने दिया था । विनिमय दोनों पक्षों की सहमति से ही हो सकता था । अनवेदक की सहमति नहीं थी, यह उसके द्वारा कलेक्टर को अपील करने से ही स्पष्ट है । अत: विनिमय की पुष्टि नहीं की जा सकती । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अपर आयुक्त एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित दिनांक 18-4-11 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर